न्यायालय उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : शैलेश सुराणा, RAS.

पत्रावली संख्या : 03 / 19 (विविध प्रार्थना पत्र)

1. श्री सवा पिता देवा गायरी निवासी रेटेड तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज0)।
2. श्री किशोर पिता देवा गायरी निवासी रेटेड तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज0)।
3. श्री भूरा पिता देवा गायरी निवासी रेटेड तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज0)।
4. श्री शंकर पिता देवा गायरी निवासी रेटेड तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज0)।
5. श्रीमती वरदी बाई बेवा देवा गायरी निवासी रेटेड तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज0)।

................प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री मांगीलाल पिता भेरा गायरी निवासी रेटेड तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज0)।
2. श्री प्रकाश पिता भेरा गायरी निवासी रेटेड तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज0)।
3. श्री दला पिता रूपा गायरी निवासी रेटेड तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज0)।
4. श्री दला पिता कालू चमार निवासी रेटेड तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज0)।
5. श्री गमेरा पिता कालू चमार निवासी रेटेड तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज0)।
6. श्री पेमा पिता नवला चमार निवासी रेटेड तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज0)। (विलोपित)
7. श्री रामलाल पिता पेमा जाट निवासी रेटेड तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज0)।

...............विपक्षीगण

उपस्थित :– 1. श्री सुरेश चन्द्र मेनारिया , अधिवक्ता प्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम

उपखण्ड अधिकारी
वल्लभनगर

Scanned by CamScanner

निर्णय

दिनांक : 21.10.2019

1. प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि मौजा रेंठेड़ पटवार हल्का किकावास भू–अभिलेख निरीक्षक मेनार तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर राजस्थान में आराजी नम्बर 481 मी. रकबा 15 बीघा 1/2 बिस्वा स्थित होकर प्रार्थीगण के नाम हिस्सा बराबर से अंकित है। उक्त वर्णित आराजी के प्रार्थीगण हिस्सा बराबर से खातेदार काश्तकार होकर स्वामी अधिकारी एवं आधिपत्यधारी है। उक्त भूमि राजस्व नक्शा ट्रेस में पेमुद है।

2. उक्त वर्णित आराजी के पूर्वी दिशा में दयाराम गुर्जर की पक्की बाउन्ड्रीवाल पांच फीट ऊँची बनी हुई है एवं पश्चिम दिशा में ग्राम नेतावला की सीमा होकर उत्तर दिशा में हम प्रार्थीगण की आ.न. 182 एवं विपक्षीगण की आ.न. 183 एवं 457 है। उक्त वर्णित आराजी के पुर्व दिशा में तो पक्की बाउण्ड्रीवाल बनी हुई होकर पश्चिम , उत्तर, दक्षिण दिशा में बाउण्ड्रीवाल नही है और प्रार्थीगण अपनी आराजी के तारबन्दी करवाना चाहता है इसलिए अपनी उक्त वर्णित भूमि की विपक्षीगण की उपस्थिति में पक्की पत्थरगड़ी करवाना चाहता है ताकि तारबन्दी के दौरान किसी प्रकार का कोई विवाद न हो और इस हेतु प्रार्थीगण ने विपक्षीगण से दिनांक 24.12.18 को पत्थरगड़ी कराने के लिए कहा तो उन्होने कानूनी कार्यवाही कराने के लिए कहा जिससे प्रार्थीगण की ओर से यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पेश करने पर विवश होना पड़ा है।

3. बिनाय प्रार्थना पत्र विरूद्ध विपक्षीगण अन्तिम बार दिनांक 24.12.2018 को पैदा हुआ, जब प्रार्थीगण ने विपक्षीगण से पत्थरगड़ी कराने के लिए कहा तो उन्होने कानूनी कार्यवाही कराने को कहा, तब से निरन्तर जारी है।

4. अतः निवेदन है कि उक्त वर्णित आराजीयात की प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की उपस्थिति में तहसीलदार वल्लभनगर के जरिये पक्की पत्थरगड़ी कराये जाने का आदेश फरमाया जावे। पत्थरगड़ी का नियमानुसार शुल्क जमा कराने को तैयार है।

5. प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजात नक्शा ट्रेस प्रतिलिपि एवं नकल जमाबन्दी सम्वत 2051 से 2054 पेश की गई है ।

6. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर कार्यवाही प्रारम्भ की गई । विपक्षीगण को जरिये नोटिसेज तलब किया गया । विपक्षीगण 1,3,4,5,7 को सूचना होने के पश्चात भी अनुपस्थित होने से दिनांक दिनांक 09.10.2019 को एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिए

उपखण्ड अधिकारी
वल्लभनगर

Scanned by CamScanner

गए। विपक्षी संख्या 6 फौत हो जाने से प्रार्थीगण उनके विरूद्ध प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 1 सिविल प्रक्रिया संहिता का पेश किया जिससे स्वीकार कर दिनांक 09.10.2019 को विपक्षी संख्या 6 के विरूद्ध कार्यवाही को ड्रोप किया गया। विपक्षी संख्या 2 के विरूद्ध सूचना होने के पश्चात भी अनुपस्थित होने से दिनांक 14.10.2019 को एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए।

7. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस को समायत किया तथा दस्तावेजात का अवलोकन किया । प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत तथ्यों पर मनन् किया । हम इस निष्कर्ष पर पहुँचें है कि मौजा रेंठेड पटवार हल्का किकावास भू–अभिलेख निरीक्षक मेनार तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर राजस्थान में नकल जमाबंदी 2051 से 2054 के अनुसार आराजी नम्बर 481 मी. रकबा 15 बीघा 1/2 बिस्वा भूमि प्रार्थीगण के सह–खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की है। प्रार्थीगण स्वयं सह–खातेदार काश्तकार है इसलिये प्रार्थीगण को अपनी आराजियात की पत्थरगड़ी कराने का पूर्ण अधिकार है । प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है ।

8. अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर पत्थरगड़ी कराने बाबत 1000/–रूपये शुल्क पर तहसीलदार वल्लभनगर को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा रेंठेड पटवार हल्का किकावास भू–अभिलेख निरीक्षक मेनार तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर राजस्थान में नकल जमाबंदी संवत 2051 से 2054 के अनुसार आराजी नम्बर 481 मी. रकबा 15 बीघा 1/2 बिस्वा भूमि के चारों दिशाओं का पुख्ता सीमांकन किया जाकर पत्थरगड़ी प्रार्थीगण/ समस्त सह–खातेदारो एवं विपक्षीगण की उपस्थिति में करवायी जावे । फीस कमिश्नर प्रार्थीगण मौके पर अदा करें ।

9. तहसीलदार वल्लभनगर को लिखा जावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

10. निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया ।

21.10.19

(शैलेश सुराणा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी, वल्लभनगर
जिला उदयपुर

Scanned by CamScanner